२४

न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2019

श्री धीरज सेन ए–8 गंगाविहार कालोनी रोड नं0 –17 वी0 के0 आई0 सीकर रोड जयपुर राज0 ––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला–टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 13.02.2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोक को दिनांक 23–10–2018 को राजि0 डाक से निम्न सूचना भिजवाने हेतु निवेदन किया।

1–करनाणी प्रिन्टर्स टोंक का उपखण्ड कार्यालय जिला टोंक में मुद्राणालय का पंजीयन किस वर्ष में किया गया था। वर्ष का उल्लेख करते हुए जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाएं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने व अपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 483 दिनांक 7–2–2019 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक को पत्र कमांक 7273 दिनांक 28–11–2018 से आवेदक को सूचना दी जा चुकी हे कि कार्यालय द्वारा मुद्राणालय का पंजीयन नहीं किया जाता। अपितु मुद्रणयंत्र के धारक द्वारा की गई घोषणा (मु.पु. अधिनियम 1867 की धारा 4(1) के तहत मजिस्ट्रेट की हेसियत से तस्दीक किया जाता है। वांछित सूचना आवेदक ने स्वंय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टोंक में उपस्थित होकर प्राप्त की है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक